

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

ईमेल-cfoalm.ukfs@gmail.com

जनपद

अल्मोड़ा।

पत्रांक:-सीएफओ/एन/एएलएम/2024-25(240)

दिनांक: सितम्बर 25, 2025

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक  
कुमाऊं पब्लिक स्कूल  
मल्ली मिरई द्वाराहाट  
जिला- अल्मोड़ा

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

आवदेन यूनिक सख्या:-80696051, दिनांक: 16.09.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन रानीखेत से कराया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.09.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु (एबीसी क्षमता 04 कि०ग्रा० के 13 अदद, सीओटू टाईप 4.5 किग्रा का 02 अदद, फोम टाईप 09 लीटर क्षमता का 01 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील 03 अदद, व दस हजार लीटर क्षमता का भूमिगत वाटर टैंक व पाँच हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड वाटर टैंक) स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत की संस्तुति के आधार पर संस्थान में (भूतल में 15, प्रथम तल में 13, व द्वितीय तल में 06 कमरों हेतु) दिनांक: जुलाई 2025 से जुलाई 2028 तक प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रदान किया जाता है व निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :-

- 01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- 02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया जाए।
- 05 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
- 06 किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके संस्थान का अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जायेगा, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एन0बी0सी भाग-4 के अनुसार पूर्ण न पाये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
अल्मोड़ा।